आरक्षण हटाओ प्रेम बढाओ देश बचाओ

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर–सी, झोटवाडा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in e-mail : samtaandolan@yahoo.in

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणी पश्यन्तु समता आन्दोलन हर इन्सान–एक समान

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति) | माननीय श्री अमिताभ गुप्ता संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक) | माननीय श्री जे.एस. राठौड़ संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर) | माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंजः पं0 जवाहरलाल नेहरू
'जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।'
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार , मो. 98290– 78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133–89665

राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144–08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष,मो. 94140–95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :–

जयपुर
योगेन्द्र राठौड
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो.9166494225

अजमेर
एन. के. झामड
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
कैप्टन गुरूविन्दर सिंह
'एडवोकेट उच्च न्यायलय)
मो. 9314142509

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9413385665

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
(कार्य. प्रदेशाध्यक्ष– क्षत्रिय महासभा राज.)
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता ज्योति (मासिक –पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट–2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक 18661–18668 शिकायत नम्बर– 3 दिनांक : 20.11.2012

माननीया श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा जी
महामहिम राज्यपाल, राजस्थान,
राजभवन, जयपुर ।

विषय :– शिकायत विरूद्ध श्री कन्हैया लाल बैरवा, सदस्य आर.पी. एस.सी;श्री चिरंजीलाल सचिव पी.डब्ल्यू.डी.; श्री हजारी लाल मीणा, मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव; श्री सांवरमल वर्मा, उपशासन सचिव एवं श्री कानचन्द बुनकर, सहायक सचिव ।

संदर्भ :– सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) की डी.पी.सी. में जातीय आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग ।

महोदया,

विनयपूर्वक निवेदन है कि राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता(सिविल) से अधिशाषी अभियन्ता(सिविल) के पदों पर दिनांक 12.11.2012 को हुई डी.पी.सी. का निर्णय आज दिनांक तक घोषित नहीं करके इसमें भी उपरोक्त अधिकारियों द्वारा जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों के दुरूपयोग की जानकारी मिली है ।

उपरोक्त सभी अधिकारीगण आरक्षित वर्ग से है । इन्होंने एक राय होकर सभी कानून कायदों को ताक पर रखकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता(सिविल) से अधिशाषी अभियन्ता(सिविल) के पदों पर मनमाने ढंग से की जा रही डीपीसी में लगभग 50 सामान्य वर्ग के अभियन्ताओं को पदोन्नति से वंचित करने की कुचेष्ठा की जा रही है, जो सरासर अन्यायपूर्ण, अविधिक एवं असंवैधानिक होने के साथ–साथ राज्य में जातिगत वैमनस्य बढाने का दुष्प्रयास है। प्राप्त ज्ञापन की प्रति संलग्न है ।

अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप व्यक्तिशः दखल देकर उपरोक्त सभी अधिकारियों को ऐसा अविधिक एवं अपराधिक कृत्य करने से रोके तथा प्रदेश के न्यायप्रिय एवं शान्तिप्रिय अनारक्षित वर्ग के लोगों को संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें। सादर अभिवादन सहित,

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(आर. एन. गौड)
महासचिव

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान प्रणव मुखर्जी साहब, राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. श्रीमान अल्तमस कबीर साहेब, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ।

(लगातार–– 2)

आरक्षण हटाओ   प्रेम बढ़ाओ   देश बचाओ

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर–सी, झोटवाडा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in   e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री जे.एस. राठौड
संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)

हमारे प्रेरणा पुंजः पं0 जवाहरलाल नेहरू
'जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।'
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार , मो. 98290–78682
[illegible]शर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133–89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144–08499
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष,मो. 94140–95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :–

जयपुर
योगेन्द्र राठौड
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9413390600

अजमेर
एन. के. झामड
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9414008416

बीकानेर
कैप्टन गुरूविन्दर सिंह
([illegible]केट उच्च न्यायलय)
मो. 9314142509

भरतपुर
हेमराज गोयल
(सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447

कोटा
अजय चतुर्वेदी
(अधिशाषी अभियन्ता)
मो. 9413385665

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूंडावत, एडवोकेट
(कार्य. प्रदेशाध्यक्ष– क्षत्रिय महासभा राज.)
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता ज्योति (मासिक –पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक   दिनांक :

3. श्रीमान अरूण मिश्रा साहेब , मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ।
4. श्रीमान अशोक गहलोत साहेब, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. श्रीमान भरत सिंह साहेब, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
6. श्री सी.के.मैथ्यू, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार एवं श्रीमान सुदर्शन सेठी साहेब, प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित कर सादर निवेदन है कि उपरोक्त सभी अधिकारियों को जातिगत आधार पर उपरोक्तानुसार अविधिक एवं आपराधिक कृत्य करने से रोके अथवा इनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166, 167, 120बी, एवं अन्य के अधीन फौजदारी कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।

भवदीय

(आर. एन. गौड)
महासचिव

जातिगत आरक्षण देश के लिए अभिशाप है।